मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अंतर्गत समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी संभागों के समस्त कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा समस्त कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 22/09/2025 को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उपसंचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्रियों/सहायक यंत्रियों तथा समस्त कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 22-09-2025 को सायंकाल 04:30 बजे से मंत्रालय स्थित सभाकक्ष क्रमांक 117 में वीडियो कांफ्रेंस बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर प्रबंध संचालक, अपर संचालक, अधीक्षण यंत्री, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक एवं तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा समस्त कृषि उपज मंडी समितियों से मंडी सचिव उपस्थित रहे।

बैठक में निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

(1) <u>दिनांक 18.08.2025 को आयोजित बैठक के निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा:-</u>

सर्वप्रथम दिनांक 18.08.2025 को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

- **<u>कृषि अवसंरचना निधि से निर्मित अवसंरचनाओं की मेपिंग:-</u>** कृषि अवसंरचना निधि से निर्मित अवसंरचनाओं की जिओ मेपिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा में अवगत कराया गया कि संपूर्ण प्रदेश की लगभग 80% अवसंरचनाओं की मैपिंग हो चुकी है। समीक्षा में पाया गया कि रीवा संभाग एवं जबलपुर संभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। रीवा संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि बैकुण्ठपुर एवं सतना में मैपिंग नहीं हुई है, संबंधित हितग्राहियों से लगातार संपर्क किया जाकर मैंपिंग की कार्यवाही कराई जा रही है। जबलपुर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कुल शेष 86 प्रकरणों में से 37 हितग्राहियों की मैंपिंग दोहरे एंट्री एवं अन्य कारणों से नहीं पाई है बाकि संभाग की कुल 49 अवसंरचनाओं की मैपिंग कराई जाना शेष है, जिसे शीघ्र ही करा लिया जाएगा। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 07 दिवस में शेष अवसंरचनाओं की मैपिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।
- **<u>मंडियों की रैंकिंग:-</u>** मुख्यालय स्तर से निर्धारित पैरामीटर अनुसार कृषि उपज मंडी समितियों की रैंकिंग की जाना है। समीक्षा में पाया गया कि सागर एवं जबलपुर संभाग द्वारा पालन

प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया है। शेष संभागों द्वारा कार्यवाही की प्रगति का उल्लेख किया गया। मंडियों की रैंकिंग महत्वपूर्ण भाग है जिसमें अगस्त माह में अच्छे परिणाम नहीं दिखे । अतः समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संभाग अंतर्गत समस्त अ एवं ब वर्ग की मंडी समितियों की रैंकिंग की कार्यवाही अविलंब करें।

- **<u>संभागवार आवक/आय:-</u>** इंदौर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वीडियों कांफ्रेंस समीक्षा बैठक में ऋणात्मक रहीं कृषि उपज मंडी समिति अलीराजपुर, जोबट एवं महू से स्पष्टीकरण लिये गए हैं। उक्त मंडी समितियों में नियमन व्यवस्था लागू करने हेतु संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया। रीवा संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कमी हेतु मंडियों को स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। सागर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रगामी आवक में कमी वाली 03 मंडियों में से 02 मंडियों ने पूर्ति कर ली है एवं कृषि उपज मंडी समिति केसली की प्रगामी आय -21 % है, उक्त मंडी की मासिक आवक में 109 % की वृद्धि हुई है। जबलपुर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संभाग की आय/आवक में कमी वाली 09 मंडियों में सभी मंडियां बालाघाट जिले की हैं। अतः जबलपुर संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बालाघाट जिले की समस्त मंडियों का निरीक्षण करें एवं आय/आवक में कमी के कारणों से अवगत करायें। भोपाल संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रगामी आवक में कमी के लिए 13 मंडी समितियों को स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जिनमें से रायसेन, खिरकिया एवं 02 अन्य मंडी समितियों में कोई सुधार नहीं आया है। अतः संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त मंडियों के निरीक्षण करें एवं कारण से अवगत करायें।

समस्त संभागीय अधिकारी कृषि विभाग से आंकड़े प्राप्त करें और परीक्षण करें कि कृषि उपजों के उत्पादन और मंडियों में कृषि उपज की आवक में कितना अंतर आ रहा है। समस्त संभागीय अधिकारी उपरोक्तानुसार कृषि उपज मंडियों के निरीक्षण उपरांत की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

(2) <u>किसान संघ की बैठकों के आयोजन की समीक्षा:-</u>

प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में कृषक संघों की बैठकों का आयोजन कराये जाने के संबंध में प्रबंध संचालक द्वारा निर्देश दिए गए है। समीक्षा बैठक में भोपाल संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एक सप्ताह में बैठकों का आयोजन कराने की योजना है। इंदौर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक आयोजन के संबंध में समस्त मंडियों को निर्देश जारी किए गए हैं, एक सप्ताह में बैठकों का आयोजन करा लिया जायेगा। सप्ताहांत में प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। सागर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त किसान संगठनों को पत्र लिखे गए हैं, इसी सप्ताह में बैठकों के आयोजन की संभावना है। जबलपुर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारसाधक अधिकारी के माध्यम से बैठक के आयोजन हेतु निर्देश दिए गए हैं तथा बैठक की दिनांक सुनिश्चित की गई हैं, इस सप्ताह

में बैठक आयोजन हो जायेंगी। ग्वालियर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मंडियों के माध्यम से सूचना दी गई है, एक सप्ताह में बैठकें हो जायेंगी। उज्जैन संभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि संभाग की 10-12 मंडियों में बैठकें हो चुकी हैं। शेष मंडियों में इसी सप्ताह में बैठक करने के प्रयास किये जा रहे हैं। रीवा संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सभी मंडियों को निर्देश दिए गए हैं।

समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मंडियों में दिन-प्रतिदिन आने वाली समस्याओं के लिये प्रतिनिधियों एवं किसान संघों की बैठक कराई जाकर उनकी मॉनीटरिंग करें एवं बैठक उपरांत बैठक का कार्यवाही विवरण प्राप्त करें। मंडियों में आवश्यक सुधार हेतु किसान संघों से प्राप्त सुझाव एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं जो हो सकती हैं उनकों क्रियान्वित किया जाना है।

(3) <u>कर्मयोगी पोर्टल पर अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण:-</u>

कर्मयोगी पोर्टल पर लगभग 614 अधिकारी/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु पंजीयन किए गए हैं जिसकी जानकारी संभागीय अधिकारियों के ग्रुप पर व्हाटसएप के माध्यम से साझा की गई है। अतः ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके पंजीयन हो चुके हैं वह 02 दिन के अंदर ज्वाइन करके 02 कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जो अधिकारी/कर्मचारी बकाया रह गए हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। संभागीय कार्यालयों से प्राप्त डाटा में कतिपय गलतियां प्रकाश में आई हैं, जैसे:- नाम, पदनाम, ई-मेल, मोबाईल नंबर इत्यादि में त्रुटियां होना। उक्त डाटा गलत होने पर पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पायेगा। अतः सभी अधिकारी/कर्मचारी डाटा सावधानी से जांच उपरांत ही प्रेषित करें।

समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी माह की वीडियों कांफ्रेंस में समीक्षा की जावेगी कि जितने भी मंडी अधिकारी/कर्मचारी हैं सभी के द्वारा प्रशिक्षण लिया गया है एवं सभी मंडी सचिव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। साथ ही मंडियों से प्राप्त डाटा जांच उपरांत प्रेषित करें एवं कोई समस्या होने पर मुख्यालय स्तर पर डॉ. निरंजन सिंह से संपर्क करें।

(4) <u>प्रदेश स्तर पर एवं संभागवार प्रगामी आवक की समीक्षा:-</u>

समस्त संभागों की माह अप्रैल से अगस्त 2025 तक की स्थिति में प्रगामी आवक की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि भोपाल संभाग की प्रगामी आवक में 2023 की तुलना में -0.66 % की एवं इंदौर संभाग की प्रगामी आवक में -2.82 % की कमी आई है।

- <u>क वर्ग की मंडी समितियों की समीक्षा:-</u> समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश स्तर पर क वर्ग की टॉप 10 मंडियों में बदनावर की आवक में -9.49 % की कमी आई। प्रदेश स्तर पर प्रगामी आवक में कमी वाली क वर्ग की मंडियों में पिपरिया की प्रगामी आवक में -18.75 %, इटारसी में -16.77 %, छिंदवाड़ा में -8.85 % तथा देवास, विदिशा एवं सिहोरा की आवक

में कमी दर्ज हुई है। अतः उक्त मंडियों के नियंत्रणकर्ता समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त मंडियों की आवक में कमी का परीक्षण करें।

- <u>ख वर्ग की मंडी समितियों की समीक्षा:-</u> समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश स्तर पर प्रगामी आवक में कमी वाली ख वर्ग की मंडियों में सौंसर की आवक में -58.04%, करेली में -11.48%, महू में -11.12%, खिरकिया में -10.63%, गोटेगांव में -9.22%, औबेदुल्लागंज में -3.17%, रायसेन में -1.99% एवं नागोद में -1.90% की कमी दर्ज हुई है। जबलपुर संभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभारी सचिव, सौंसर कृषि उपज मंडी समिति छिंदवाड़ा में पदस्थ होते हुए सौंसर मंडी का अतिरिक्त प्रभार पर कार्यरत होने से कार्य प्रभावित होता है। अतः उपरोक्त प्रभारी सचिव की मूल पदस्थापना कृषि उपज मंडी समिति सौंसर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जबलपुर संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कृषि उपज मंडी समिति सौंसर, करेली एवं गोटेगांव में कमी के कारणों का प्रतिवेदन प्रेषित करें। श्री योगेश नागले, सचिव-ब, मुख्यालय को कृषि उपज मंडी समिति महूं का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। भोपाल संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया, औबेदुल्लागंज एवं रायसेन से प्रतिवेदन प्राप्त करें एवं कमी के कारणों से अवगत करायें।
- <u>ग वर्ग की मंडी समितियों की समीक्षा</u>:- समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश स्तर पर प्रगामी आवक में कमी वाली ग वर्ग की मंडियों में बनखेड़ी की आवक में -11.50%, खेतिया में -10.23%, पांढुर्ना में -6.59%, बालाघाट में -3.57% एवं उदयपुरा में -0.82% की कमी आई है। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त मंडियों की आवक में कमी का परीक्षण करें।
- <u>घ वर्ग की मंडी समितियों की समीक्षा:-</u> समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश स्तर पर प्रगामी आवक में कमी वाली घ वर्ग की मंडियों में मोहगांव की आवक में-35.58%, अलिराजपुर में -21.60%, केसली में -21.50%, शहपुरा निवास में -12.95%, पाटन में -12.82%, लालबर्रा, बुढार, बेडिया, सिमरिया एवं बाबई में भी कमी आई है। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त मंडियों की आवक में कमी का परीक्षण करें।

समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रदेश स्तर पर रेड जोन में आने वाली ऐसी मंडी समितियां जिनकी आवक में विगत 02 वर्षों से वृद्धि नहीं हुई है, ऐसी मंडियों की आगामी माह में समीक्षा की जावेगी एवं सुधार न होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

प्रदेश स्तर पर टॉप 10 में आने वाली क, ख, ग एवं घ वर्ग की मंडी समितियों को बधाई दी गई एवं अग्रेत्तर आवक वृद्धि करने के प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।

(5) <u>प्रदेश स्तर पर एवं संभागवार प्रगामी/मासिक आय की समीक्षा:-</u>

प्रदेश के समस्त संभागों की मासिक आय की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि इंदौर संभाग की मासिक आय में -26.62 % एवं उज्जैन संभाग की मासिक आय में -15.81% की

कमी आई है। उक्त दोनों संभागों की आय में कमी होना चिंताजनक है। दोनों संभागीय अधिकारियों को सचेत किया जाता है कि आय बढ़ाने के प्रभावी प्रयास करें।

संभागवार प्रगामी आय की समीक्षा में पाया गया कि भोपाल संभाग की प्रगामी आय में -28.63%, इंदौर संभाग में -5.42%, उज्जैन संभाग में -6.62%, एवं जबलपुर संभाग में -12.55% की कमी दर्ज हुई है। भोपाल संभागीय अधिकारी को प्रगामी आय में कमी होने के कारणों का सूक्ष्म परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जबलपुर, उज्जैन, इंदौर संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आय में हुई कमी को सुधारते हुए आय में सतत् वृद्धि की जावे। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रति वर्ष कृषि जिंसों के उत्पादन के मान से 10 प्रतिशत से अधिक आय बढ़ाने के प्रयास करें।

- <u>क वर्ग की मंडी समितियों की समीक्षा</u>:- समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश स्तर पर क वर्ग की बॉटम 10 मंडियों में बरेली की आय में -52.34%, सिहोरा में -47.74%, पिपरिया में -40.20%, विदिशा में -39.94%, टिमरनी में -36.72%, इटारसी में -35.41%, इंदौर में -32.29%, बानापुरा में -31.44%, सीहोर में -31.05% एवं शुजालपुर में -28.82% की कमी आई। उपरोक्त मंडियों की आय में विगत माह की तुलना में कितना सुधार आया है, चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। सुधार न होने की स्थिति में उपरोक्त समस्त मंडी सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। (नियमन शाखा मुख्यालय)
- <u>ख वर्ग की मंडी समितियों की समीक्षा:-</u> समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश स्तर पर प्रगामी आय में कमी वाली ख वर्ग की मंडियों में सौंसर की आय में -55.51%, शहपुरा भिटोनी में -55.49%, रायसेन में -54.30%, नसरूल्लागंज में -50.34%, औबेदुल्लागंज में -39.66%, पिपल्या में -35.72%, खिरकिया में -35.45%, बैरसिया -32.20%, होशंगाबाद में -25.83% एवं सैलाना में -21.96% की कमी दर्ज हुई है। कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया को स्पष्टीकरण देते हुए समक्ष में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु आहूत करें एवं श्री अरविंद परिहार, सचिव, मुख्यालय को निर्देशित किया गया कि कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया का निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उपरोक्त मंडियों की आय में कमी होने से स्पष्ट है कि संभागीय अधिकारियों का उक्त मंडियों पर उचित पर्यवेक्षण नहीं है। उक्त समस्त मंडी सचिवों को आय में वृद्धि करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। सुधार न होने पर तथा कर्त्तव्य पालन में लापरवाही होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। (नियमन शाखा मुख्यालय)
- <u>ग वर्ग की मंडी समितियों की समीक्षा</u>:- समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश स्तर पर प्रगामी आय में कमी वाली ग वर्ग की मंडियों में रेहटी की आय में -71.62%, बनखेड़ी में -71.14%, बकतरा में -67.64%, केवलारी में -51.79%, सेमरीहरचंद में -50.39%, बालाघाट में -45.42%, कन्नोद में -40.94%, उदयपुरा मं -34.59%, शमशाबाद में -33.09% एवं कालापीपल में -32.64% की कमी आई है। अतः समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित

किया गया कि उक्त मंडियों के सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए आय में वृद्धि करावें।

प्रदेश स्तर पर टॉप 10 में आने वाली क, ख, ग एवं घ वर्ग की मंडी समितियों को बधाई दी गई एवं अग्रेत्तर आय में वृद्धि करने के प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रदेश की संभागवार क, ख, ग एवं घ वर्ग की मंडियों की आय में हुई कमी/वृद्धि का अवलोकन किया गया। ऐसी मंडी समितियां जिनकी आय में 10% से अधिक की कमी हुई है उन समस्त क एवं ख वर्ग की मंडी समितियों को नियमन शाखा, मुख्यालय कारण बताओ सूचना पत्र जारी करे तथा ग एवं घ वर्ग की मंडी समितियों को संभागीय अधिकारी कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए आय में सुधार से अवगत करावें। आगामी वीडियों कांफ्रेंस में उपरोक्तानुसार मंडियों की समीक्षा की जावेगी।

कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में आने वाली कृषि उपजों एवं समर्थन मूल्य पर उपार्जित होने वाली जिंसों से प्राप्त आय को पृथक-पृथक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निर्देशित किया गया कि दोनों से प्राप्त कुल आय में यह स्पष्ट हो कि मंडी प्रांगण से प्राप्त होने वाली आय में विगत माह की तुलना में कितने प्रतिशत कमी/वृद्धि हुई है।(नियमन शाखा)

(6) <u>आंचलिक कार्यालयों एवं मंडी समितियों के निरीक्षण दलों द्वारा की गई कार्यवाही:-</u>

समस्त आंचलिक कार्यालयों एवं मंडी समितियों के निरीक्षण दलों द्वारा अगस्त माह में किए गए निरीक्षणों की समीक्षा की गई।

<u>आंचलिक कार्यालयों के निरीक्षण</u>:- अगस्त माह की समीक्षा में पाया गया कि भोपाल संभाग में 16 प्रकरण, इंदौर संभाग में 09 प्रकरण, उज्जैन संभाग में 06 प्रकरण, ग्वालियर संभाग में 03, सागर संभाग में 16, जबलपुर संभाग में 12 एवं रीवा संभाग में 08 प्रकरण बनाये जाकर दण्डात्मक राशि की वसूली की गई। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक संभागीय कार्यालय द्वारा लक्ष्य बढ़ाते हुए कर अपवंचन के प्रकरण बनाये जाकर दण्डात्मक राशि वसूल की जावे।

<u>मंडी समितियों के निरीक्षण</u>:- अगस्त माह की समीक्षा में पाया गया कि भोपाल संभाग की मंडियों में कुल 157, इंदौर संभाग की मंडियों में कुल 679, उज्जैन संभाग की मंडियों में कुल 570, ग्वालियर संभाग की मंडियों में कुल 233, सागर संभाग की मंडियों में कुल 70, जबलपुर संभाग की मंडियों में कुल 320 एवं रीवा संभाग की मंडियों में कुल 34 निरीक्षण मंडी समितियों के निरीक्षण दलों द्वारा किए गए। प्रति मंडी को कम से कम 05 प्रकरण तैयार करने के मान से निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तीनों संभाग समन्वय स्थापित करते हुए संभाग एवं संभाग की मंडी समितियों के गठित निरीक्षण दलों द्वारा अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु निरीक्षण की कार्यवाही करें। उक्त तीनों संभागों में अवैध व्यापार पर नियंत्रण करते हुए कर अपवंचन के प्रकरण बनाये जाने की अधिक संभावना है।

(7) 14 दिवस से अधिक लंबित भुगतान पत्रक सत्यापन की समीक्षा:-

प्रदेश के समस्त संभागों में 14 दिवस से अधिक लंबित भुगतान पत्रकों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि इंदौर संभाग अंतर्गत सर्वाधिक 368 लेखे सत्यापन हेतु लंबित हैं। इसी प्रकार उज्जैन में 181, भोपाल में 140, ग्वालियर में 81, जबलपुर में 29, रीवा में 05 एवं सागर में 04 लेखे सत्यापन लंबित पाए गए। अतः समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित भुगतान पत्रकों का सत्यापन 01 सप्ताह की समयावधि में करावें। साथ ही विलंब की स्थिति में ब्याज की गणना का कॉलम तैयार करते हुए राशि वसूल करने के निर्देश दिए।

(8) लाइसेंस आवेदन निराकरण में विलंब की स्थिति:-

समस्त आंचलिक कार्यालयों में लाइसेंस आवेदन निराकरण के कुल लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि ग्वालियर संभाग अंतर्गत 13 व्यापारी-प्रसंस्करणकर्ताओं के आवेदन समय-सीमा से बाह्य लंबित होना पाए गए। अतः संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों के निराकरण अविलंब करावें।

(9) FPO द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस आवेदन के निराकरण की स्थिति:-

समीक्षा में पाया गया कि FPO द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस आवेदन के निराकरण में भोपाल संभाग में 05, सागर में 02, इंदौर में 03, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन संभाग में 01-01 आवेदन शेष लंबित होना पाए गए। अतः समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि FPO के लंबित लाइसेंस आवेदनों के शीघ्र निराकरण करावें। आगामी समीक्षा बैठक में यह प्रकरण निरंक होना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

- मंडियों में कृषि उपजों की आवक शुरू होने वाली है। कतिपय मंडियों में सचिव एवं अन्य मंडी कर्मचारियों के समय पर नहीं पहुंचने संबंधी शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं एवं मंडी सचिव का मंडी पर नियंत्रण नहीं है। अतः समस्त मंडी सचिव कार्यालय के अनुकूल उचित गणवेश में नियमित रूप से मंडियों में उपस्थित रहें एवं नियमन व्यवस्था का पालन कराते हुए कृषकों की उपज की नीलामी करावें। मंडी सचिव, मंडी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है अतः सचिव को मंडी के कार्यपालक के रूप में दृष्टिगोचर होना चाहिए। उपस्थिति कृषक प्रतिनिधियों, हम्मालों एवं व्यापारियों के साथ बैठक उपरांत पुरानी व्यवस्थाओं में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता के अनुरूप सुधार करें।
- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता:- मंडियों में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावे। उपलब्ध संसाधनों का निर्माण कार्यों में बेहतर उपयोग हो। गुणवत्ता में कमी होने पर एवं अन्य गलतियों पर संबंधित तकनीकी अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की जावेगी। कर्त्तव्य पालन में गंभीर लापरवाही सिद्ध होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

- करैरा मंडी में बिना नीलामी के संरचनाओं का आवंटन:- संज्ञान में आया है कि कृषि उपज मंडी समिति करैरा में बिना नीलामी के 100 से अधिक दुकानों का आवंटन किया गया है। अतः संभागीय अधिकारी ग्वालियर को निर्देशित किया गया कि प्रकरण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। किसी अन्य मंडी में भी इस प्रकार की कार्यवाहियां/आवंटन हुए हों तो स्वयं से प्रकरण सूचित करें। अन्यथा नियम विरूद्ध कार्य किए जाने पर संबंधित सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- मंडियों के शेड में अतिक्रमण:- मंडियों में निर्मित शेड में व्यापारियों द्वारा क्रय उपज का भण्डारण 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं होना चाहिए। 24 घंटे के पश्चात भण्डारण पाये जाने पर कोई भी स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा। सीजन शुरू हो गया है अतः शेड खाली होना आवश्यक है।
- मंडियों में आधारभूत सुविधाएं:- मंडियों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, वाटर कूलर साफ-स्वच्छ हों। जल भराव की स्थिति न हों प्रांगण में कहीं भी कीचड़ न हो। बाउंड्री वॉल दुरूस्त हो, आवारा पशुओं का मंडी प्रांगण में जमावड़ा न हो। आवश्यकता के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे चलित स्थिति में होना चाहिए। यथोचित स्थान पर कैमरे दृष्टिगोचर होना चाहिए।
- मंडियों एवं आंचलिक/तकनीकी कार्यालयों में उपस्थिति:- प्रदेश के समस्त कार्यालयों एवं समस्त कृषि उपज मंडी समितियों के सभी अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति शासकीय एप सार्थक पर दर्ज कराई जाना है। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
- ई-मंडी एवं फार्मगेट एप का संचालन:- ई-मंडी एवं फार्मगेट एप को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। यह प्रशंसनीय है कि उक्त दोनों एप को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 01 अप्रैल 2025 से प्रदेश की सभी मंडियों में ई-मंडी की प्रक्रिया चालू है। अतः आगामी समय में उक्त दोनों एप के संचालन में कोई ढील नहीं होना चाहिए। किसी मंडी में प्रक्रिया के पालन में कोई कठिनाई की स्थिति में सुधार करें एवं मुख्यालय से संपर्क करें। फार्मगेट एप पर लक्ष्य निर्धारित करें एवं लक्ष्य में निरंतर वृद्धि करते हुए कृषकों को सुविधाएं उपलब्ध करावें। आगामी बैठक में उपरोक्त के संबंध में समीक्षा की जावेगी।
- वृक्षारोपण:- मंडियों में किए जाने वाले वृक्षारोपण का पंजीयन अंकुर एप के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।
- मंडियों में नियमित वेतन का भुगतान:- संज्ञान में आया है कि कुछ मंडियां में नियमित वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। अतः समस्त मंडी सचिव यह सुनिश्चित करें कि मंडियों में नियमित वेतन भुगतान किया जावे एवं मुख्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जावे। नियमित वेतन भुगतान न होने की स्थिति में संबंधित मंडी सचिव की जिम्मेवारी निर्धारित की जावेगी।

- <u>दौरा डायरियों का अनुमोदन:-</u> समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित प्रवास कार्यक्रमों का प्रवास से पूर्व प्रबंध संचालक से अनुमोदन प्राप्त करें।
- आगामी समीक्षा बैठक में तैयार किए जाने वाले प्रजेंटेशन में मंडी समितियों की आय में प्रांगण की आय एवं उपार्जन की आय को पृथक-पृथक रखने के निर्देश दिए गए। (कार्यवाही:- नियमन शाखा)

(<u>धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक संपन्न हुई।</u>)

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/वी.कां. समीक्षा बैठक/सितंबर/2025/2281 भोपाल,दिनांक:27/09/2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. अपर संचालक/संयुक्त संचालक(समस्त)/अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/ सहायक यंत्री (समस्त)म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक/उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन बिंदुवार तैयार कर 07 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यत: उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तदनुसार आगामी वीडियों कॉफ्रेंस समीक्षा बैठक में पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की जा सके।
7. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।
8. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल